



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1947 (श10)
(सं0 पटना 207) पटना, मंगलवार, 17 फरवरी 2026

वित्त विभाग

अधिसूचना
19 जनवरी 2026

सं०-35/वि०आ०-01/2026-668—सात निश्चय-3 (2025-30) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति के घटक 1—दोगुना रोजगार —दोगुनी आय में राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को 5 वर्षों में दोगुना करने के लिए अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु श्री नवीन कुमार (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

- | | |
|--|------------|
| I. श्री नवीन कुमार (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) | अध्यक्ष |
| II. प्रो० टी०सी० अनंत, पूर्व प्रोफेसर,
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एवं पूर्व सदस्य,
संघ लोक सेवा आयोग | सदस्य |
| III. प्रो० संकेत महापात्रा, अर्थशास्त्र विभाग
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद | सदस्य |
| IV. श्रीमती रचना पाटिल, सचिव(व्यय), वित्त विभाग | सदस्य सचिव |
| V. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ (अधिकम चार) | सदस्य |

2. समिति द्वारा सात निश्चय के उक्त घटक के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.07.2026 तक अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

3. समिति द्वारा अपने निष्कर्षों का आधार निर्दिष्ट किया जाएगा।
4. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा।
5. समिति संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।
6. समिति को सचिवालय सहायता वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 207-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>